

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 22/12/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री दीन बंधु सिंह, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2025 को पूर्वाह्न 11:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री पारस मणि त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वाणिज्य विभाग के नॉमिनी, 23/09/2008 के पत्र के अनुसार)।
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री किरण मोहन मोहाडीकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) आमिर इकबाल, सहायक विकास आयुक्त, (iv) रजनीश कुमार, अप्रेंजर, एनएसईजेड, (v) भारत भूषण, सहायक और (vi) श्री कुलदीप सिंह, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एनएसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 08/12/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 08/12/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ और न ही कोई आपत्ति प्राप्त हुई है। अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 08/12/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

2. Hotz Industries Limited – एलओए (LOA) के नवीनीकरण संबंधी प्रस्ताव।

2.1 श्री अरुण कुमार जैन, कंपनी के निदेशक, श्री अजय गोयल एवं श्री अभिनाश त्रिपाठी, अधिकृत प्रतिनिधि के साथ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्ताव का विवरण प्रस्तुत किया।



2.2 अनुमोदन समिति ने अवलोकन किया कि इकाई वर्ष 2020-21 से काम नहीं कर रही है। आगे यह भी देखा गया कि इकाई ने अपने प्रोजेक्ट के समर्थन में कोई विश्वसनीय व्यवसाय योजना (credible business plan) एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्देश दिया कि इकाई को कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया जाए कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान गैर-प्रदर्शन (non-performance) के मद्देनजर, एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 तथा एसईजेड नियम, 2006 के नियम 6(B) के प्रावधानों के तहत उनका एलओए रद्द क्यों न कर दिया जाए।

(3) ओरीटेक्स एक्सपोर्ट्स एलएलपी – प्रदर्शन की निगरानी ।

3.1 अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के तहत इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और यह नोट किया कि इकाई प्रथम ब्लॉक (23.06.2020-22.06.2025) के दौरान पॉजिटिव एनएफई अर्जन (positive NFE earnings) प्राप्त करने में विफल रही है तथा एपीआर (APRs) के अनुसार 39.69 लाख रुपये की कमी (shortfall) पाई गई है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि दिनांक 31.03.2024 तक कोई भी विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं दर्शाई गई है।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 80 के प्रावधानों के तहत एनएफई अर्जन में कमी को नियमित (regularize) करने के लिए 39.69 लाख रुपये के FOB निर्यात मूल्य में कमी का 1% अर्थात् 39,690 रुपये का दंड (penalty) लगाने का निर्णय लिया।

3.3 अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि इकाई ने वर्ष 2025-26 के दौरान 1 करोड़ रुपये के निर्यात किए हैं और इसे ध्यान में रखते हुए, दंड राशि के भुगतान की शर्त पर, विकास आयुक्त, एनएसईजेड को पाँच वर्ष के दूसरे ब्लॉक के लिए एलओए के नवीनीकरण करने हेतु अधिकृत (empower) किया।

(4) हर्ष इंडस्ट्रीज – एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को सम्मिलित करना ।

4.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत इकाई के एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों (additional authorized operations) के रूप में “निकोटीन पाउचेज (24049100) (9331200 पाउच प्रति वर्ष)” के निर्माण को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

(5) पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड – कंपनी के नाम में परिवर्तन तथा निदेशकों एवं शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन ।

5.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत दिनांक 18/10/2021 की Instruction No. 109 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का नाम “PJS Overseas

Limited” से बदलकर “Sadashiva Overseas Limited” किए जाने तथा कंपनी के निदेशकों एवं शेयरहोल्डिंग पैटर्न में किए गए परिवर्तन को संज्ञान में लिया। ।

(6) बुलेट इंटरनेशनल – (i) प्रदर्शन की निगरानी और (ii) एसईजेड स्कीम से अंतिम विकास तथा प्लॉट नंबर 187,188,189, एनएसईजेड स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का M/s. GSR Industries को हस्तांतरण ।

6.1 अनुमोदन समिति ने अवलोकन किया कि इकाई द्वारा 2015-16 तक प्रस्तुत एपीआर के अनुसार, इकाई ने 73.50 लाख रुपये का पॉज़िटिव एनएफई अर्जित किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि इकाई के प्रदर्शन की निगरानी पूर्व में 04.10.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में की जा चुकी है तथा एनएसईजेड कस्टम्स द्वारा 23.01.2015 को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। ।

6.2 यह सूचित किया गया कि 04/10/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में मैसर्स Bullet International को एसईजेड स्कीम से विकास तथा प्लॉट नंबर 187,188,189, एनएसईजेड स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मि. GSR Industries को हस्तांतरित करने के लिए, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74A के तहत, (i) विकास संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति, (ii) देय ट्रांसफर शुल्कों का भुगतान, (iii) ट्रांसफरी द्वारा ट्रांसफरर की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को स्वीकार करने संबंधी उपयुक्त अंडरटेकिंग का प्रस्तुतिकरण की शर्तों के अधीन, सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 तथा 74A के तहत विकास एवं परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के हस्तांतरण के लिए उक्त in-principle approval इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.10.2022 द्वारा इकाई को जारी की गई थी। अब, इकाई ने विकास संबंधी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं तथा ट्रांसफरी द्वारा भी ट्रांसफरर की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को ग्रहण करने संबंधी अंडरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74A के प्रावधानों के तहत प्लॉट नंबर 187,188,189, एनएसईजेड स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मैसर्स GSR Industries को हस्तांतरित करने के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

(7) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड – (i) प्रदर्शन की निगरानी, (ii) ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने हेतु एलओए की अवधि में विस्तार, तथा (iii) एसईजेड स्कीम से अंतिम विकास एवं प्लॉट नंबर 129G/64, एनएसईजेड स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का M/s. Elite Basket Pvt. Ltd. को हस्तांतरण ।

7.1 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और दिनांक 30.09.2025 तक के एपीआर के आधार पर दूसरे ब्लॉक के दौरान 41.95 लाख रुपये तथा तृतीय ब्लॉक के दौरान 169.96 लाख रुपये के पॉज़िटिव एनएफई अर्जन को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि कोई भी विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं दर्शाई गई है।

7.2 यह सूचित किया गया कि 14/10/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में मैसर्स Sunglass Palace Pvt. Ltd. को एसईजेड स्कीम से निकास तथा प्लॉट नंबर 129G/64, एनएसईजेड स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मैसर्स Elite Basket Private Limited को हस्तांतरित करने के लिए, (i) ट्रांसफरर द्वारा निकास संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति, (ii) देय ट्रांसफर शुल्कों का भुगतान, (iii) ट्रांसफरी द्वारा ट्रांसफरर की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को ग्रहण करने संबंधी उपयुक्त अंडरटेकिंग का प्रस्तुतिकरण की शर्तों के अधीन, सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 तथा 74A के तहत निकास एवं परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के हस्तांतरण के लिए उक्त in-principle approval इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा इकाई को जारी की गई थी। अब, इकाई ने निकास संबंधी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं तथा ट्रांसफरी द्वारा भी ट्रांसफरर की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को ग्रहण करने संबंधी अंडरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74A के प्रावधानों के तहत प्लॉट नंबर 129G/64, एनएसईजेड स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मैसर्स Elite Basket Pvt. Ltd. को हस्तांतरित करने के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

अनुपूरक कार्यसूची पर निर्णय

(8) प्रदर्शन की निगरानी

एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के तहत प्रदर्शन/एपीआर की निगरानी हेतु निम्नलिखित मामलों को अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इकाई-वार निर्णय नीचे दिए गए हैं:

8.1 शिनपाक ओवरसीज एक्सपोर्ट्स

8.1.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने जानकारी दी है कि उसने पिछले पाँच वर्षों के ब्लॉक के दौरान कोई ट्रेडिंग गतिविधि नहीं की है।

8.1.2 अनुमोदन समिति ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के एपीआर के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और तृतीय ब्लॉक (18.08.2020-17.08.2025) के दौरान पॉज़िटिव एनएफई अर्जन को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि ICEGATE डेटा के अनुसार, इकाई ने वर्ष 2024-25 के दौरान 273.88 लाख रुपये के निर्यात किए हैं। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31.03.2024 की स्थिति में विदेशी मुद्रा प्राप्ति में कोई भी राशि लंबित नहीं दर्शाई गई है।

8.2 ईबिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट-II)

8.2.1 अनुमोदन समिति ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के एपीआर के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और द्वितीय ब्लॉक (30.09.2020-29.09.2025) के दौरान पॉज़िटिव एनएफई अर्जन होने को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि ICEGATE डेटा के अनुसार, इकाई ने वर्ष 2024-25 के दौरान 1474.98 लाख रुपये के निर्यात किए हैं। अनुमोदन

समिति ने यह भी नोट किया कि 31.03.2024 की स्थिति में विदेशी मुद्रा प्राप्ति में कोई भी राशि लंबित नहीं दर्शाई गई है।

8.2.2 अनुमोदन समिति ने यह भी अवलोकन किया कि इकाई का एलओए 29/09/2025 को समाप्त हो चुका है और इकाई को एलओए के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक जारी करने के निर्देश दिए।

8.3 क्रिस्टल ब्रूज लिमिटेड

8.3.1 अनुमोदन समिति ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के एपीआर के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और तृतीय ब्लॉक (11.10.2020-10.10.2025) के दौरान पॉजिटिव एनएफई अर्जन होने को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि ICEGATE डेटा के अनुसार, इकाई ने वर्ष 2024-25 के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31.03.2025 की स्थिति में विदेशी मुद्रा प्राप्ति में कोई भी राशि लंबित नहीं दर्शाई गई है।

8.3.2 अनुमोदन समिति ने यह भी अवलोकन किया कि इकाई का एलओए 10/10/2025 को समाप्त हो चुका है और इकाई को एलओए के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक जारी करने के निर्देश दिए।

8.4 सेनित आईएनसी.

8.4.1 अनुमोदन समिति ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के एपीआर के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और चतुर्थ ब्लॉक (26.09.2020-25.09.2025) के दौरान पॉजिटिव एनएफई अर्जन होने को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि ICEGATE डेटा के अनुसार, इकाई ने वर्ष 2024-25 के दौरान 257.56 लाख रुपये के निर्यात किए हैं। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31.03.2024 की स्थिति में विदेशी मुद्रा प्राप्ति में कोई भी राशि लंबित नहीं दर्शाई गई है।

8.5 श्री नमो अलॉयज

8.5.1 अनुमोदन समिति ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के एपीआर के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और चतुर्थ ब्लॉक (02.01.2020-01.01.2025) के दौरान पॉजिटिव एनएफई अर्जन होने को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि ICEGATE डेटा के अनुसार, इकाई ने वर्ष 2024-25 के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः 3.79 लाख रुपये एवं 4.10 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित दिखाई गई है। अनुमोदन समिति ने इकाई को लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्तियों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

8.6 प्रभात जर्दा फैक्ट्री (ओवरसीज)

8.6.1 अनुमोदन समिति ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के एपीआर के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और वर्तमान द्वितीय ब्लॉक (19.01.2022-18.01.2027) के दौरान पॉजिटिव

एनएफई अर्जन होने को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि ICEGATE डेटा के अनुसार, इकाई ने वर्ष 2024-25 के दौरान 1460.10 लाख रुपये के निर्यात किए हैं। अनुमोदन समिति ने यह भी अवलोकन किया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 150.03 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित दिखाई गई है। अनुमोदन समिति ने इकाई को लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्तियों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

8.6.2 अनुमोदन समिति ने यह भी अवलोकन किया कि इकाई का एलओए वर्तमान द्वितीय पाँच वर्षीय ब्लॉक के दौरान 31.12.2025 तक की अल्प अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा एलओए के नवीनीकरण हेतु किए गए अनुरोध की फाइल पर विचार करने के निर्देश दिए।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(पारस मणि त्रिपाठी)
संयुक्त विकास आयुक्त



(दीन बंधु सिंह)
विकास आयुक्त